न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— श्री कार्तिकेय मीणा, **R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 304/2022 दायर दिनाँक 22.07.2022

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. सांवताराम पुत्र अर्जनराम 2. मोडुराम पुत्र अर्जनराम 3. प्रभूराम पुत्र अर्जनराम समस्त जाति जाट निवासी बकवास, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।	बनाम्	1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार डीडवाना 2. भू—प्रबंधक अधिकारी सीकर 3. बजूदेवी पत्नि रामनिवास जाति जाट निवासी बकवास तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा— 88 **R.T.Act.**

उपस्थितः—

1. श्री महेन्द्र खिलेरी वकील वादीगण।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक 21.09.2022

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि वादीगण की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा सं0 14 रबिा 0.0200 हैक्टे0, खसरा सं0 16 रकबा 2.2800 हैक्टे0, खसरा सं0 18 रकबा 1.6800 हैक्टे0, खसरा सं0 306 रकबा 0.0100 हैक्टे0, खसरा सं0 307 रकबा 0.0200 हैक्टे0, खसरा सं0 308 रकबा 2.4600 हैक्टे0 वाकै सरहद बकवास पटवार क्षेत्र खरेश, भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खुनखुना तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 में अवस्थित है।

यह है कि अभी वर्तमान में आये सेटलमेन्ट अधिकारियों ने खसरा सं0 14 रकबा 0.2000 हैक्टे0 की किस्म गै0मु0 रास्ता दर्ज कर दी। जबकि मौके पर कभी भी कोई रास्ता दर्ज नही था। वास्तविक रूप से उक्त भूमि वादी की कृषि भूमि थी तथा पूर्व में राजस्व रेकर्ड में कृषि भूमि रही थी तथा खसरा सं0 308 रकबा 2.4600 हैक्टे0 भूमि के राजस्व नक्शे लाईने दर्ज कर दी जो नजरी नक्शे में दर्शित मार्क ए से बी दर्शित की गई जबकि खसरा सं0 308 के राजस्व नक्शे में उक्त लाईने कभी भी दर्ज नही थी।

यह हैकि राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा खसरा सं0 14 की किस्म गै0मु0 रास्ता दर्ज करने तथा खसरा सं0 308 के राजस्व नक्शे में मार्क ए से बी लाईने दर्ज करने से वादी के जायज अधिकार खतेर में पड़ गये है तथा वादी को कृषि कार्य करने तथा [illegible] सामना करने की आंशका हैतथ खसार सं0 14 व 308 [illegible] राज [illegible] रेकर्ड दुरूस्त करवाने हेतु दावा बात रेकर्ड दुरूस्ती [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:38:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना वादीगण इस प्रकार हैः—

यह है कि खसरा सं0 14 की किस्म गै0मु0 रास्ता के स्थान पर चाही—3 (वादी की कृषि भूमि) दर्ज की जावें तथा खसरा सं0 308 के राजस्व नक्शे से नजरी नक्शा में दर्शित मार्क ए से बी लाईने हटायी जाकर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त करने के आदेश सादर फरमावें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार डीडवाना के क्रमांक/रीडर/2022/1741 दिनांक 25.08.2022 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे सामिल मिसल किया गया। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट में दर्शित नजरी नक्शे के अनुसार बिन्दू A से B खसरा सं0 14 रेकार्ड के अनुसार गै0 मु0 रास्ता दर्ज है परन्तु मौके पर उक्त भूमि कृषि कार्य हेतु काम में ली जा रही है।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। अतः, बाद विवेचन, वाद वादीनी डिक्री सादिर किया जाता है।

—:आदेश :—

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद बकवास पटवार क्षेत्र खरेश, भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खुनखुना तहसील डीडवाना खसरा सं0 14 की किस्म गै0मु0 रास्ता के स्थान पर चाही—3 (वादी की कृषि भूमि) दर्ज की जाती है तथा खसरा सं0 308 के राजस्व नक्शे से नजरी नक्शा में दर्शित मार्क ए से बी लाईने हटायी जाती है।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
सहायक कलक्टर
R.A.S.
सहायक कलक्टर (बांगर)
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **21.09.2022** को सरे इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:38:39 IST
Reason: SelfAttested

(कार्तिकेय मीणा)
सहायक कलक्टर
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 304/2022 दायर दिनॉक 22.07.2022

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. सांवताराम पुत्र अर्जनराम 2. मोडुराम पुत्र अर्जनराम 3. प्रभूराम पुत्र अर्जनराम समस्त जाति जाट निवासी बकवास, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।	बनाम्	1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार डीडवाना 2. भू–प्रबंधक अधिकारी सीकर 3. बजूदेवी पत्नि रामनिवास जाति जाट निवासी बकवास तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा– 88 R.T.Act.

दिनॉक **21.09.2022**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री महेन्द्र खिलेरी वकील वादीगण की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद बकवास पटवार क्षेत्र खरेश, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खुनखुना तहसील डीडवाना खसरा सं0 14 की किस्म गै0मु0 रास्ता के स्थान पर चाही–3 (वादी की कृषि भूमि) दर्ज की जाती है तथा खसरा सं0 308 के राजस्व नक्शे से नजरी नक्शा में दर्शित मार्क ए से बी लाईने हटायी जाती है।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–....................
खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–.......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **21.09.2022** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बावत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन [illegible] डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:38:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner